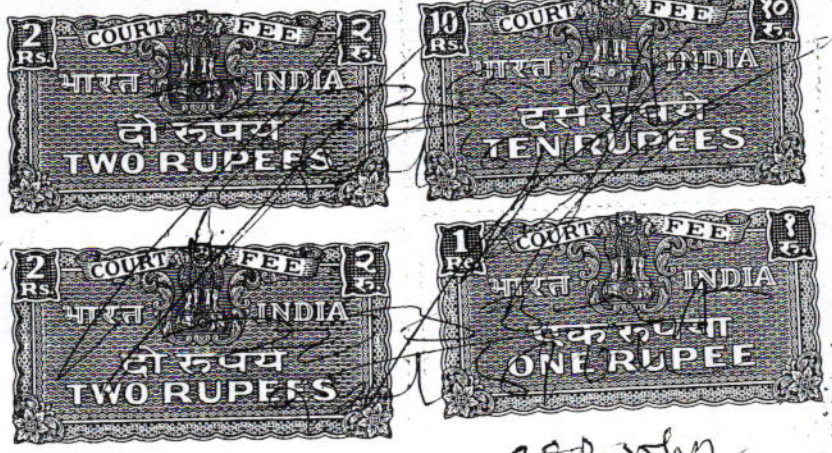

70

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००५ पुनरावलोकन (रिव्यू)

रिव्यू 500 II/2005

श्री .... द्वारा आज दि० 15/4/05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

15 APR 2005

१। रमेश पुत्र वासुदेव प्रसाद
२। राजेन्द्र पुत्र वासुदेव प्रसाद
३। दिनेश पुत्र वासुदेव प्रसाद
निवासीगण ग्राम कनाथर, तहसील मेंहगांव, जिला भिण्ड, म०प्र० --
आवेदक

विरुद्ध

१। रणवीर सिंह पुत्र बाबूसिंह
२। अतरसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह
३। चतुरसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह
निवासीगण ग्राम कतरोल, तहसील मेंहगांव, जिला भिण्ड, म०प्र०
४। श्याम बिहारी पुत्र पुरुषोत्तम
५। नारायण प्रसाद पुत्र श्री पुरुषोत्तम
निवासीगण ग्राम कनाथर, तहसील मेंहगांव जिला भिण्ड, म०प्र० ---
अनावेदकगण

पुनरावलोकन विरुद्ध आदेश माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर (श्री एम०के० सिंह) दिनांक २१-१२-२००४ अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू राजस्व संहिता १९५९। प्रकरण क्रमांक ६५६-तीन/२००० निगरानी।

श्रीमान,

पुनरावलोकन आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यह कि इस माननीय न्यायालय की आज्ञा प्रत्यक्षदर्शी भूलों पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 500–दो/05 जिला –भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.03.2016	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 अवस्थी अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 959–तीन/2000 आदेश दिनांक 21.12.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 500–दो/2005 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरवलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 959–तीन/2000 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 21.12.2004 से किया जा चुका है । रिव्यु प्र0 क0 500–दो/20045 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन	

रिव्यू-500-II/08 (बिला)

स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3–- कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य